27.7.2021 – पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप. राज पैरोकार ने जवाब पेश किया, जो शा. कि. रहे। बहस सुनी गई। प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। कि.

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

## न्यायालय सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी, डेगाना (नागौर)

## बईजलास श्री मुकेश चौधरी आर.ए.एस.

**राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 91 / 2020**

अनुवान

प्रार्थी :– हरी राम पुत्र छोगा राम जाति जाट निवासी मोडरिया तहसील डेगाना जिला नागौर राजस्थान

**बनाम्**

अप्रार्थीगण :–

1. श्रीमान् तहसीलदार, डेगाना।
2. उगमाराम पुत्र छोगा
3. श्री धना पुत्र छोगा
4. पीरा पुत्र छोगा

जातियान जाट निवासीगण मोडरिया तहसील डेगाना जिला नागौर (राज.)।

**प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 136 आर एल आर एक्ट**

**श्री हर्षा चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी**

दिनांक 27.7.2021

## –: निर्णय :–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम राजस्व ग्राम मोडरिया तहसील डेगाना के सरहद में जमीन खेत खसरा नम्बर 19 / 3 रकबा 0.1500 हैक्टयर, खसरा नं. 232 / 1 रकबा 0.5700 है., खसरा नम्बर 240 / 4 रकबा 0.0700 हैक्टरयर, खसरा नम्बर 241 / 3 रकबा 2.05 हैक्टयर स्थित है, जिनके पुराने खसरा नम्बर 192, 194, 199, 203, 191, 100, 58 है। उपरोक्त जमीन वादी की खातेदारी सुदा है। प्रार्थी के पिता छोगा राम का देहान्त हुआ तब पुराने खसरा नम्बर 192, 194, 199, 203, 191, 100, 58 का नामान्तरण भरा गया, जिसमें प्रार्थी का नाम हरी राम पुत्र छोगा राम दर्ज होना था, लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से या संवहन से प्रार्थी का नाम हरजी पुत्र छोगा गलत नाम नामान्तरण में दर्ज हो गया। एवं हरजीराम पुत्र छोगा एवं हरीराम पुत्र छोगा प्रार्थी एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी के गलत नाम हरजी पुत्र छोगा के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम हरी राम पुत्र छोगा मुतनाजा वर्तमान खसरा नम्बर 19 / 3, 232 / 1, 240 / 4, 241 / 3 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया जाता है तो सहखातेदार व किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई हानि व क्षति होने वाली नहीं है।

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, तथा अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार डेगाना से मौका रिपोर्ट मंगवाई गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 उगमा, धन्ना, पीरा की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या संख्या 2 ता 4 ने प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त कर हरजीराम के स्थान पर हरीराम किये जाने पर कोई आपत्ति एवं ऐतराज जाहिर नहीं की है, तथा तहसीलदार डेगाना से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। तहसीलदार, डेगाना ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./कोर्ट/2021/1494 दिनांक 23.04.2021 में यह बताया है कि हरजीराम एवं हरी राम एक ही व्यक्ति है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम मोडरिया के खसरा नम्बर 19/3, 232/1, 240/4, 241/3 में प्रार्थी का नाम हरजी पुत्र छोगा के स्थान पर हरी राम पुत्र छोगा किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय दिनांक 27.7.2021 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी,
डेगाना (नागौर)